(मार्गदर्शक सूचना सन २०१९-२०)

जा.क्र.विप्र.२/TRFA-Oilseed/मा.सू./प्र.क्र.१२/ 5951 /१९
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, पुणे -४११००५,
दूरध्वनी क्र. ०२०-२५५३७६९७ इमेल : nmoopdda@gmail.com
दिनांक : 19 /११/२०१९

प्रति,

१) विभागीय कृषि सह संचालक,
कोकण / नागपूर विभाग

२) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
ठाणे / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग/ भंडारा/ गोंदिया/ गडचिरोली.

**विषय : रा.अ.सु.अ.(गळीतधान्य) अंतर्गत "भातपड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्रम TRFA-Oilseeds": मार्गदर्शक सूचना सन २०१९-२० ...**

संदर्भ : १) केंद्र शासनाच्या TRFA-Oilseed च्या कार्यकारी मार्गदर्शक सूचना
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.२-२९/२०१९-NFSM-OS, दि.२३ ऑगस्ट, २०१९
३) कृषि आयु.पत्र क्र.Extn.२/NFSM(OS)/AAP१९-२०/TRFA-Oil/१३७/१९, दि.५ ऑक्टोबर, २०१९
४) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.२-२९/२०१९-NFSM-OS, दि.:१७ ऑक्टोबर,२०१९ (प्रशासकीय मान्यता)
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.२-२९/२०१९-NFSM-OS, दि. १८ ऑक्टोबर,२०१९ (शुद्धिपत्रक)
६) कृषि आयु पत्र जा.क्र.विप्र.२/भात पड क्षे./जि.कार्यक्रम/प्र.क्र.१२/४१०७/१९, दि.२२ ऑक्टोबर १९
७) शासन निर्णय क्र.रागते-१०१९/प्र.क्र.८७/४अे, दि. ०७ नोव्हेंबर, २०१९ (प्रशासकीय मान्यता)

राष्ट्रीय कृषि परिषदेच्या शिफारसीनुसार केंद्र शासनाने देशातील पूर्वीय ६ राज्यात राबविण्यात येत असलेला "भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी कार्यक्रम-TRFAOilseed" सन २०१९-२० पासून महाराष्ट्र राज्यासह इतर ४ राज्यात राबविण्याचे धोरण ठरविले आहे.

या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने निर्धारीत केलेल्या निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या कोकण व नागपूर विभागातील निवडक जिल्हांकडून वार्षिक कृती आराखडे मागवून बियाणे उपलब्धतेच्या मर्यादेत राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यास केंद्र शासनाने संदर्भीय दि. १७ ऑक्टोबर, २०१९ च्या पत्रानुसार मंजुरी प्रदान केली असून संदर्भीय दि. १८ ऑक्टोबर, २०१९ च्या शुद्धिपत्रकानुसार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी TRFA-Oilseeds च्या मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने संदर्भीय दि. ०७ नोव्हेबर, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार रु. १०८.७१ लाख (केंद्र हिस्सा रु. ६५.२२ लाख व राज्य हिस्सा रु. ४३.४९ लाख) रुपयाच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली आहे. सदरील कार्यक्रमासाठी केंद्र व राज्य हिस्साचे प्रमाण ६०:४० राहणार आहे. राज्याचा बाबनिहाय वार्षिक मंजूर कृती आराखडा सोबतच्या प्रपत्र क्र.१ मध्ये सहपत्रीत केला आहे.

केंद्र शासनाच्या TRFA-Oilseeds बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना व जिल्हा/बाबनिहाय भौतिक व आर्थिक नियोजित कार्यक्रम आपणास कृषि आयुक्तालयाने संदर्भीय दि. २२ ऑक्टोबर, २०१९ च्या पत्रानुसार यापूर्वीच उपलब्ध करून दिला आहे. जिल्हा/बाबनिहाय भौतिक व आर्थिक लक्षांक आपणास पुनश्च प्रपत्र क्र.२ मध्ये सहपत्रीत केले आहेत. त्याप्रमाणे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तालुकानिहाय लक्षांक निर्धारीत करुन क्षेत्रिय स्तरावर कार्यक्रमाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

केंद्र / राज्य शासनाने TRFA-Oilseeds कार्यक्रमास प्रदान केलेली मंजुरी विचारात घेऊन सन २०१९-२० साठी पुढीलप्रमाणे बाबनिहाय मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. सदरील मार्गदर्शक सुचना कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर (http://www.krishi.maharashtra.gov.in) प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत.

# अंमलबजावणी बाबत मार्गदर्शक सुचना

❖ समाविष्ठ पिके व निवडण्यांत आलेले जिल्हे :

केंद्र शासनाच्या सुचनांनुसार रबी हंगामात भातपड क्षेत्र उपलब्ध असणाऱ्या खालील जिल्हांची कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.

| अ.क्र. | पिक | जिल्हे संख्या | जिल्ह्यांचे नाव |
|---|---|---|---|
| १ | मोहरी | २ | ठाणे व रत्नागिरी |
| २ | जवस | ३ | भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली |
| ३ | तीळ | १ | ठाणे |
| ४ | करडई | २ | भंडारा व गोंदिया |
| ५ | भुईमुग | ३ | ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग |

❖ क्षेत्र निवड :

'उन्नत शेती - समृध्द शेतकरी' मोहीमेत तालुका हा कृषि उत्पादन वाढीसाठी कृषि विकासाच्या नियोजनाचा प्रमुख घटक निश्चित केला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांनी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी क्षेत्र निवड करतांना रबी हंगामातील जिल्ह्यातील भातपड क्षेत्राचा विचार करून तालुकानिहाय लक्षांक निश्चित करावेत. तद्नंतर तालुका कृषि अधिकारी यांनी केंद्र शासनाच्या TRFA-Oilseeds मार्गदर्शक सूचनानुसार गावांची निवड करून कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी.

❖ लाभार्थी निवडीचे सर्वसाधारण निकष:

१. शेतकरी उत्पादक गटांची प्रथम प्राधान्याने निवड करावी. निवडलेल्या गावात नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट नसल्यास नव्याने गटनिर्मीती करुन आत्मा संस्थेकडे गटाची नोंदणी करावी.
२. नोंदणीकृत गटातील शेतकऱ्याचे स्वतःचे नावे ७/१२ व ८/अ उतारा असणे बंधनकारक राहील.
३. अनुसुचित जाती/जमाती मधील लाभधारकांनी जातीचा स्वयंसाक्षांकीत वैध दाखला अर्जासोबत जोडावा.
४. कृषि सहाय्यकाने लाभार्थी निवड पंचायतराज संस्थेच्या सहभागाने करावी. मंडळ कृषि अधिकारी यांनी निकषांनुसार तपासुन लाभार्थी निवडीस अंतीम मान्यता दयावी व लाभार्थी यादी तालुका कार्यालय/ पंचायत समिती/ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर लावावी. तसेच, सन २०१९-२० मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करावी.
५. विहीत प्रमाणानुसार अनु. जाती/जमाती प्रवर्गाचे लाभार्थी, ३० टक्के महिला व ३ टक्के अपंग लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा.
६. जेथे शेतकरी गटामध्ये पुरेश्या प्रमाणात अनुसूचीत जाती/जमाती प्रवर्गातील शेतकरी नसतील तेथे अनुसूचीत जाती/जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची यादी तयार करुन निवड करावयाच्या संख्येएवढ्या प्रमाणात सोडत पध्दतीने निवड प्रक्रिया सर्वासमक्ष पार पाडावी.
७. लाभार्थी शेतकरी मासिकाचा वर्गणीदार नसल्यास वर्गणीदार होण्यासाठी उद्युक्त करावे.
८. उपविभाग व जिल्हास्तरावरुन या प्रात्यक्षिक कार्यक्रमाचे सनियंत्रण करावे.

❖ अभियान नियंत्रण अधिकाऱ्यांची नेमणूक:

शासनाने संदर्भीय दि. ०७ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार सदर कार्यक्रमासाठी खालीलप्रमाणे स्तरनिहाय नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी घोषित केले आहे.

| अ.क्र. | स्तर | अभियान नियंत्रण अधिकारी | आहरण व संवितरण अधिकारी |
|---|---|---|---|
| १ | आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय |
| २ | जिल्हा | संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी | जि.अ.कृ.अ.कार्यालयातील लेखा अधिकारी |

❖ निधी विनियोग कार्यपद्धती :

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) अंतर्गत TRFA-Oilseeds या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून यासाठी निधी शासनाकडून रा.अ.सु.अभियानाच्या खालील लेखाशीर्षाअंतर्गत उपलब्ध होणार आहे.

| अ.क्र. | प्रवर्ग | मागणी क्र. | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा |
|---|---|---|---|---|
| १ | सर्वसाधारण | डी -३ | २४०१४६१४ | २४०१ए२३४ |
| २ | अनुसूचित जाती | डी -३ | २४०१ए१६३ | २४०१ए१७२ |
| ३ | अनुसूचित जमाती | टी-५ | २४०१ए५५७ | २४०१ए५६६ |

कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (PFMS) करावयाची असून जिल्हास्तरावर आवश्यक प्रवर्गनिहाय निधी संबधित जिल्हांच्या PFMS बँक खात्यावर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. संपूर्ण निधीचा विनियोग PFMS प्रणालीद्वारे करावयाचा आहे. यास्तव संबधित जि.अ.कृ.अ.यांनी रा.अ.सु.अ.(गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाचे बँक खाते PFMS प्रणालीवर कार्यान्वयित असल्याची खातरजमा करावी.

❖ घटकनिहाय सविस्तर मार्गदर्शक सूचना:

**१) समूह पिक प्रात्यक्षिके :**

अद्यावत विकसित तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे हा प्रात्यक्षिकांचा उद्देश आहे. याबाबीअंतर्गत मोहरी, जवस, तीळ, करडई व भुईमुग या पिकांची प्रात्यक्षिके आयोजित करावयाची आहेत. मोहरी, जवस, तीळ, करडई या पिकांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी प्रति हेक्टर रु. ३,०००/- या प्रमाणे, सुर्यफुल पिकासाठी रु. ४०००/- प्रति हेक्टर प्रमाणे व भुईमुग पिकासाठी रु. १०,०००/- याप्रमाणे उच्चतम अनुदान मर्यादा राहील.

प्रात्यक्षिकांसाठी विभागीय कृषि सहसंचालक स्तरावरून कृषि विद्यापीठातील तज्ञांचे सल्याने पीकनिहाय तंत्रज्ञान निविष्ठा पॅकेज निश्चित करण्यात यावेत. प्रात्यक्षिक निविष्ठा पॅकेजमध्ये बियाणे, बिज प्रक्रिया, भूसुधारके, जैविक खते, जैविक किटकनाशके, प्रसिद्धी, शेतीदिन इत्यादी घटकांसाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार रासायनिक खतांना अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. तालुकानिहाय भौतिक लक्षांक निर्धारित करताना स्थानिक परिस्थिती व उपलब्ध भातपड क्षेत्र विचारात घेऊन लक्षांक निर्धारित करावेत. प्रात्यक्षिकांचे १०० टक्के जिओ टॅगींग करणे बंधनकारक राहील. प्रात्यक्षिकासाठी प्रमाणित दर्जाच्या बियाण्याचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. या बाबीचा लाभ प्रती शेतकरी उच्चतम २.०० हेक्टर क्षेत्रापर्यंत देता येईल. यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) विषयक दि. २७ जून, २०१९ मार्गदर्शक सूचनामध्ये नमूद असून ती पुर्णत TRFA-Oilseeds या कार्यक्रमास लागू राहील याची नोंद घ्यावी. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) च्या सदरील मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर (http://www.krishi.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहेत.

**२) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन :**

कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांतर्गत अनुदानावर वाटप करावयाच्या कृषि निविष्ठांसंदर्भात थेट लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) च्या अनुषंगाने दि. १९/४/२०१७ व दि. १२/९/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सविस्तर सुचनानुसार अंमलबजावणी करावी. तसेच, याबाबत कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) यांचेकडून वेळोवेळी निर्गमित केल्या जाणा-या सुचना लागू राहतील.

**अ) निविष्ठा (सूक्ष्ममूलद्रव्ये, जिप्सम, जैविक खते/ कीटकनाशके) :**

यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) च्या संदर्भीय मार्गदर्शक सूचनामध्ये नमूद असून ती पुर्णत TRFA-Oilseeds या कार्यक्रमास लागू राहील.

**ब) कृषि औजारे व पाईप्सचा पुरवठा :**

यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) व यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या (SMAM) च्या मार्गदर्शक सूचनामध्ये नमूद केलेली असून त्यानुसार या बाबीची अंमलबजावणी करावी.

**क) स्प्रिंकलर पुरवठा :**

या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (PMKSY) विषयक कृषि आयुक्तालयाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार करावी.

३) प्रशिक्षणे :

अ) शेतकरी प्रशिक्षण :

शेतक-यांना अद्यावत तंत्रज्ञान अवगत करुन कौशल्यवृध्दी वाढ करणे हा प्रशिक्षणाचा हेतू आहे. **"उन्नत शेती-समृध्द शेतकरी"** मोहीमेबाबतच्या दि. २७/४/२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ४.३ नुसार प्रशिक्षणांबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जि.अ.कृ.अ. यांनी नियोजन व कार्यवाही करावी.

ब) अधिकारी प्रशिक्षण :

विस्तार अधिकाऱ्यांचे ज्ञान व कौशल्यवृध्दी करुन भविष्यात त्यांना तज्ञ प्रशिक्षक (मास्टर ट्रेनर) बनविण्यासाठी प्रशिक्षित करणे हा प्रशिक्षणाचा हेतु आहे. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर जि.अ.कृ.अ. यांनी नियोजन व कार्यवाही करावी.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) अंतर्गत TRFA-Oilseeds या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने पर्यवेक्षण व सनियंत्रणाबाबत रा.अ.सु.अ. (गळीतधान्य व तेलताड) अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील.

अभियान संचालक (रा.अ.सु.अ.) तथा
कृषि संचालक (वि.प्र.)
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सोबत:- प्रपत्र-१ (एकूण बाबनिहाय कार्यक्रम)
प्रपत्र-२ जिल्हा/निहाय बाबनिहाय कार्यक्रम

प्रत : माहीतीस्तव सविनय सादर.

१) मा. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ यांना
२) मा. जिल्हाधिकारी (सर्व संबंधित) यांना माहीतीस्तव सविनय सादर.
३) मा.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, महाबीज भवन, अकोला.
४) मा.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, प्रभादेवी, राजन हाऊस, मुंबई.

प्रपत्र-१

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य) अंतर्गत भातपड क्षेत्रावर गळीतधान्य पिकलागवडीचा विशेष कार्यक्रम (TRFA-Oilseed): मंजूर वार्षिक कृति आराखडा सन २०१९-२०

(रु. लाख)

| अ.क्र. | बाब/घटक | परिमाण | केंद्राकडून मंजूर लक्षांक | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक | आर्थिक | | |
| | | | | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा | एकूण |
| अ) | समुह गटप्रात्यक्षिके @२.५० लाख/गाव | | | | | |
| १) | मोहरी | रु.३०००/हे. | ११० | १.९८ | १.३२ | ३.३० |
| २) | जवस | | ५२० | ९.३६ | ६.२४ | १५.६० |
| ३) | तीळ | | १०० | १.८० | १.२० | ३.०० |
| ४) | करडई | | २८० | ५.०४ | ३.३६ | ८.४० |
| ५) | भुईमुग | रु.१००००/हे. | ४४० | २६.४० | १७.६० | ४४.०० |
| एकूण ....(अ) | | --- | १४५० | ४४.५८ | २९.७२ | ७४.३० |
| ब) | एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन | | | | | |
| १) | सूक्ष्म मूलद्रव्ये | रु.५००/हे. | ५०० | १.५० | १.०० | २.५० |
| २) | जिप्सम | रु.७५०/हे. | ३०० | १.३५ | ०.९० | २.२५ |
| ३) | जैविक खते | रु.५००/हे. | ८१० | २.४३ | १.६२ | ४.०५ |
| ४) | जैविक कीटकनाशके (Pesticide) | रु.५००/हे. | ६०० | १.८० | १.२० | ३.०० |
| ५) | स्प्रिंकलर | PMKSY प्रमाणे | २० | १.७२ | १.१५ | २.८७ |
| ६) | पाईप्सचा पुरवठा | NFSM प्रमाणे | ६१०० | १.८३ | १.२२ | ३.०५ |
| (७) | कृषि औजारे | SMAM प्रमाणे | ---- | ---- | ---- | ---- |
| i) | सीड ड्रील | | ५ | ०.६० | ०.४० | १.०० |
| ii) | रोटाव्हेटर | | ५ | १.३५ | ०.९० | २.२५ |
| एकूण ....(ब) | | ---- | ---- | १२.५८ | ८.३९ | २०.९७ |
| क) | प्रशिक्षण | | | | | |
| १) | शेतकरी प्रशिक्षण | रु. ०.२४ लाख/प्र. | ५० | ७.२० | ४.८० | १२.०० |
| २) | अधिकारी प्रशिक्षण | रु. ०.३६ लाख/प्र. | ४ | ०.८६ | ०.५८ | १.४४ |
| एकूण ....(क) | | ---- | ५४ | ८.०६ | ५.३८ | १३.४४ |
| एकूण एकंदर ...(अ+ब+क) | | | ---- | ६५.२३ | ४३.४८ | १०८.७१ |

प्रपत्र-२

## रा.अ.सु.अ.(गळीतधान्य) अंतर्गत भातपड क्षेत्रावर गळीतधान्य पिकलागवडीचा विशेष कार्यक्रम (TRFA-Oilseed): जिल्हानिहाय/बाबनिहाय लक्षांक सन २०१९-२०

(रु.हजार)

| अ. क्र. | बाब/घटक | परिमाण | ठाणे |  | रत्नागिरी |  | सिंधुदुर्ग |  | कोकण विभाग |  | भंडारा |  | गोंदिया |  | गडचिरोली |  | नागपूर विभाग |  | एकूण |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा | आर्थिक |
| अ) | समुह गटप्रात्यक्षिके |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| १) | मोहरी | रु.३०००/हे. | १० | ३०.०० | १०० | ३००.०० | ० | ०.०० | ११० | ३३०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ११० | १९८.०० | १३२.०० | ३३०.०० |
| २) | जवस |  | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | १७० | ५१०.०० | १७५ | ५२५.०० | १७५ | ५२५.०० | ५२० | १५६०.०० | ५२० | ९३६.०० | ६२४.०० | १५६०.०० |
| ३) | तीळ |  | १०० | ३००.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | १०० | ३००.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | १०० | १८०.०० | १२०.०० | ३००.०० |
| ४) | करडई |  | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | २० | ६०.०० | २६० | ७८०.०० | ० | ०.०० | २८० | ८४०.०० | २८० | ५०४.०० | ३३६.०० | ८४०.०० |
| ५) | भुईमुग | रु.१००००/हे. | १०० | १०००.०० | ३०० | ३०००.०० | ४० | ४००.०० | ४४० | ४४००.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ४४० | २६४०.०० | १७६०.०० | ४४००.०० |
|  | एकूण ....(अ) |  | २१० | १३३०.०० | ४०० | ३३००.०० | ४० | ४००.०० | ६५० | ५०३०.०० | १९० | ५७०.०० | ४३५ | १३०५.०० | १७५ | ५२५.०० | ८०० | २४००.०० | १४५० | ४४५८.०० | २९७२.०० | ७४३०.०० |
| ब) | एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| १) | सूक्ष्म मूलद्रव्ये | रु.५००/हे. | ० | ०.०० | २५० | १२५.०० | ० | ०.०० | २५० | १२५.०० | १५० | ७५.०० | ० | ०.०० | १०० | ५०.०० | २५० | १२५.०० | ५०० | १५०.०० | १००.०० | २५०.०० |
| २) | जिप्सम | रु.७५०/हे. | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ३०० | २२५.०० | ३०० | २२५.०० | ३०० | १३५.०० | ९०.०० | २२५.०० |
| ३) | जैविक खते | रु.५००/हे. | २१० | १०५.०० | २५० | १२५.०० | ० | ०.०० | ४६० | २३०.०० | १५० | ७५.०० | ० | ०.०० | २०० | १००.०० | ३५० | १७५.०० | ८१० | २४३.०० | १६२.०० | ४०५.०० |
| ४) | जैविक कीटकनाशके (Pesticide) | रु.५००/हे. | ० | ०.०० | २५० | १२५.०० | ० | ०.०० | २५० | १२५.०० | १५० | ७५.०० | ० | ०.०० | २०० | १००.०० | ३५० | १७५.०० | ६०० | १८०.०० | १२०.०० | ३००.०० |
| ५) | स्प्रिंकलर | PMKSY प्रमाणे | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | २० | २८७.०० | २० | २८७.०० | २० | १७२.२० | ११४.८० | २८७.०० |
| ६) | पाईप्सचा पुरवठा | NFSM प्रमाणे | ० | ०.०० | २५०० | १२५.०० | ० | ०.०० | २५०० | १२५.०० | ३००० | १५०.०० | ० | ०.०० | ६०० | ३०.०० | ३६०० | १८०.०० | ६१०० | १८३.०० | १२२.०० | ३०५.०० |
| ७) | कृषि औजारे | SMAM प्रमाणे | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| i) | सीड ड्रील |  | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ५ | १००.०० | ५ | १००.०० | ५ | ६०.०० | ४०.०० | १००.०० |
| ii) | रोटाव्हेटर |  | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ५ | २२५.०० | ५ | २२५.०० | ५ | १३५.०० | ९०.०० | २२५.०० |
|  | एकूण ....(ब) | ---- | ---- | १०५.०० | ---- | ५००.०० | ---- | ०.०० | ---- | ६०५.०० | ---- | ३७५.०० | ---- | ०.०० | ---- | १११७.०० | ---- | १४९२.०० | ---- | १२५८.२० | ८३८.८० | २०९७.०० |
| क) | प्रशिक्षण |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| १) | शेतकरी प्रशिक्षण | रु. ०.२४ लाख/प्र. | १ | २४.०० | २४ | ५७६.०० | १ | २४.०० | २६ | ६२४.०० | ८ | १९२.०० | ८ | १९२.०० | ८ | १९२.०० | २४ | ५७६.०० | ५० | ७२०.०० | ४८०.०० | १२००.०० |
| २) | अधिकारी प्रशिक्षण | रु. ०.३६ लाख/प्र. | १ | ३६.०० | ० | ०.०० | १ | ३६.०० | २ | ७२.०० | ० | ०.०० | १ | ३६.०० | १ | ३६.०० | २ | ७२.०० | ४ | ८६.४० | ५७.६० | १४४.०० |
|  | एकूण ....(क) | ---- | २ | ६०.०० | २४ | ५७६.०० | २ | ६०.०० | २८ | ६९६.०० | ८ | १९२.०० | ९ | २२८.०० | ९ | २२८.०० | २६ | ६४८.०० | ५४ | ८०६.४० | ५३७.६० | १३४४.०० |
|  | एकूण एकंदर ...(अ+ब+क) |  | ---- | १४९५.०० | ---- | ४३७६.०० | ---- | ४६०.०० | ---- | ६३३१.०० | ---- | ११३७.०० | ---- | १५३३.०० | ---- | १८७०.०० | ---- | ४५४०.०० | ---- | ६५२२.६० | ४३४८.४० | १०८७१.०० |